निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **56 / 2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

राजकुमार सोनी केयर 20-21, शिव सदन, महेश पथ, केशव विहार कॉलोनी, रिद्धि सिद्धि स्वीट हाउस के पीछे, पत्रकार [illegible] धाम के सामने, रिद्धि सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाईपास रोड, टोंक रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय — दिनांक 04.09.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरण स्वरूप राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदन से आवेदन में वर्णित बिन्दु संख्या 3 की सूचनाएं चाही गई है। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई है।
3. लिखित बहस एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 551 दिनांक 12.08.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग प्रथम, जयपुर को अंतरित किया गया था एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग प्रथम, जयपुर द्वारा पत्रांक 4366 दिनांक 04.09.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी को पत्रांक 4248 दिनांक 28.8.25 से बिन्दु संख्या 3 से संबंधित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। यद्यपि अंतरिती अधिकारी का प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार पृथक है, तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को सूचना अंतरिती अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कथन किया है कि आदिनांक तक बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना का संबंध पृथक विभाग से है एवं अंतरिती अधिकारी के अपीलीय अधिकारी हम नहीं है। अपीलार्थी संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु स्वतंत्र है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार किया हो।
6. निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को रारे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner